Jh pkeq.Mk ufUndds'oj efUnj U;kl pkeq.Mk ftyk&dkaxMk fgekpy izns'k ds ys[kks

dk vads{k.k ,o fujh{k.k izfrosnuA

vads{k.k vof/k 01-01-2008 ls 31-012-2009

Hkkx&,d

1 izLrkouk %& वर्तमान लेखा परीक्षा द्वारा आवृत अवधि के दौरान निम्न अधिकारी मन्दिर न्यास के आहरण/संवितरण अधिकारी के पदों पर कार्यरत रहे।

Ø0l0	vf/kdkjh dk uke	vof/k
1	श्री संत राम ठाकुर	01.01.2008 से 24.10.2008
2	श्री एल0आर0 कौंड़ल	25.10.2008 से 31.12.2009

2 lLFkk dk fiNys rhu lky dk vk;&0;; fooj.k fuEukuqlkj Fkk%&

Ø0l0	o"kZ	vk;	0;;	vUrj
1	2007	1,50,88,493.00	1,20,44,790.00	30,43,703.00
2	2008	1,84,67,309.00	1,21,02,294.00	63,65,015.00
3	2009	2,05,42,542.64	1,34,40,352.00	71,02,190.64

3 xr vads{k.k izfrosnu %& मन्दिर न्यास द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में निपटारे हेतु लम्बित पड़े पैरों पर की गई कार्यवाही की जांच की गई तथा जिन पैरों का निपटारा हो सकता था मौके पर कर दिया गया। जांच परीक्षण पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा इस बार पुराने लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान चलाया गया था। जिसके फलस्वरूप पैरों का निपटारा सम्भव हो सका। परन्तु गम्भीर प्रवृति के पैरों (मुख्यतः सोने चांदी के पुराने अभिलेख से सम्बन्धित) पर विषेष कार्यवाही नहीं की गई। अतः यह मामला आयुक्त (मन्दिर) के ध्यान में लाया जाता है ताकि इन पर अविलम्ब कार्यवाही अमल मे लाई जा सके ओर दोषियों से वसूली की जा सके। वर्तमान अंकेक्षण के पष्चात निपटारे हेतु शेष पड़े पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है।

¼d½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 4@94 ls 12@98 rd

1	पैरा 3(1)(क)	निर्णीत (मन्दिर लेखों की नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण के पैरा संख्या 3 में दर्षाई गई है और प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
2	पैरा 3(1)(ख)	निर्णीत (मन्दिर लेखों की नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण के पैरा संख्या 3 में दर्षाई गई है और प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
3	पैरा 3(1)(ग)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
4	पैरा 5(क)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच उपरान्त)
5	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत

7	पैरा 5(घ)	निर्णीत (राशि मु0 1,410/–रुपये की वसूली करके रसीद संख्या 24612 दिनांक 11.06.2009 द्वारा जमा करवा दी गई)
8	पैरा 5(ङ)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच उपरान्त)
9	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(ख)(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 6(ख)(2)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(ख)(3)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(ग)(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(ग)(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(घ)(2)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
17	पैरा 8(2)	निर्णीत (राशि मु0 432/–रुपये की वसूली रसीद संख्या 27708 दिनांक 29.01.2010 को कर ली गई)
18	पैरा 9(क)(ii)	निर्माण (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
19	पैरा 9(ख)(i)	निर्माण (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
20	पैरा 9(ङ)(1)	निर्णीत (राशि मु0 1,413/–रुपये की वसूली माप पुस्तिका न0 28/72 के पृष्ठ 72 में संविदाकार के देय राशि से कटौती कर ली गई एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
21	पैरा 9(ङ)(2)	निर्णीत (राशि मु0 1,202/–रुपये की वसूली माप पुस्तिका न0 28/72 के पृष्ठ 72 में संविदाकार के देय राशि से कटौती कर ली गई एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
22	पैरा 9(ङ)(3)	निर्णीत (राशि मु0 922/–रुपये की वसूली माप पुस्तिका न0 28/72 के पृष्ठ 72 में संविदाकार के देय राशि से कटौती कर ली गई एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
23	पैरा 14	निर्णीत (अन्तिम राशियों के समायोजन वाऊचरों की जांच पड़ताल के बाद)
24	पैरा 21(क)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
25	पैरा 21(ख)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं आयुक्त (मन्दिर) की उर्तोतर स्वीकृति की जांच के उपरान्त)
26	पैरा 22	निर्णीत (अभिलेख की जांच उपरान्त)
27	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
28	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
29	पैरा 25(ग)	अनिर्णीत
30	पैरा 25(घ)	अनिर्णीत
31	पैरा 25(ङ)	अनिर्णीत
32	पैरा 25(च)	अनिर्णीत

33	पैरा 27	निर्णीत (राशि मु0 543/–रुपये की वसूली रसीद संख्या 24624 दिनांक 15.07.2009 को कर ली गई)
34	पैरा 28	निर्णीत (यह पैरा पुनः प्रारूपित किया गया है। पैरा सं0 10 में)
35	पैरा 29(क)	अनिर्णीत
36	पैरा 29(ख)	अनिर्णीत
37	पैरा 29(ग)	अनिर्णीत
38	पैरा 30	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच उपरान्त)
39	पैरा 32	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच उपरान्त)
40	पैरा 36	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच उपरान्त)
41	पैरा 37	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच उपरान्त)
42	पैरा 38	निर्णीत (राशि मु0 196/–रुपये की वसूली रसीद संख्या 24616 दिनांक 23.06.2009 द्वारा कर ली गई एवं प्रस्तुत उत्तर व अभिलेख की जांच उपरान्त)
43	पैरा 39	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
44	पैरा 41	निर्णीत (राशि मु0 540/–रुपये की वसूली रसीद संख्या 24817 दिनांक 24.06.2009 द्वारा कर ली गई शेष प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच उपरान्त)
45	पैरा 42	निर्णीत (राशि मु0 210/–रुपये की वसूली रसीद संख्या 559/27729 दिनांक 2.02.2010 द्वारा कर ली गई)
46	पैरा 45	अनिर्णीत
47	पैरा 47	निर्णीत (यह पैरा अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2005 में पैरा संख्या 9 में पुनः प्रारूपित किया गया है)
48	पैरा 48	निर्णीत

¼[k½ <u>vadsk{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 01-01-2000 ls 31-12-2000</u>

1	पैरा 7(क)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
2	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(ग)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरांत)
7	पैरा 13(1)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरांत)
8	पैरा 13(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(3)	निर्णीत (इस पैरे को अंकेक्षण प्रतिवेदन 2002 के पैरा संख्या 6(त्र)(1) में पुनः प्रारूपित किया गया है)

¼x½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 01-01-2001 l 31-12-2001

1	पैरा 6(1)	निर्णीत(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
2	पैरा 6(2)	निर्णीत (राशि मु0 1,400/—रुपये की वसूली रसीद संख्या 8965 दिनांक 9.01.2007 द्वारा कर ली गई)
3	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 14	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
6	पैरा 17(ख)(1)	निर्णीत (राशि मु0 11,190/—रुपये की वसूली सुलभ इन्ट्रनेषनल के बिल से माप पुस्तिका 35/69 पेज 69 में कर ली गई है)
7	पैरा 17(ख)(2)	अंषतः निर्णीत (मदसंख्या 8,9 में दर्ज राशि 17,140/—रुपये की वसूली सुलभ इन्ट्रनेषनल के बिल से माप पुस्तिका 35/69 में कर ली गई है)
8	पैरा 17(ग)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
9	पैरा 17(घ)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
10	पैरा 17(च)	निर्णीत (राशि 2,700/—रुपये की वसूली संविदाकार के बिल से माप पुस्तिका संख्या 29/35 में कर ली गई है)
11	पैरा 20	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)

¼?k½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 01-01-2002 l 31-12-2002

1	पैरा 5(क)(1 से 5)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(क)(6) (ए0बी0सी0डी0)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(क)(7 से 8)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(क)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
6	पैरा 6(ख)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
7	पैरा 6(ग)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर ओर शेष राशि मु0 1,160/—रुपये की वसूली रसीद संख्या 8965 दिनांक 9.01.2006 द्वारा कर ली गई है)
8	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(च)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
10	पैरा 6(अ)(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 8(1)	अनिर्णीत

12	पैरा 9(2)	निर्णीत (राशि मु0 418/—रुपये ओर 1,625/—रुपये की वसूली रसीद संख्या 28,399 व 26,595 दिनांक 22.02.2010 द्वारा कर ली गई है)
13	पैरा 10(2)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
14	पैरा 11(क)(1)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(क)(2)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(क)(3)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(क)(4)	अनिर्णीत
18	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
19	पैरा 12	अनिर्णीत
20	पैरा 13(2)	अनिर्णीत

¼3½ vkd{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 01-01-2003 ls 31-12-2004

1	पैरा 5(क)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
2	पैरा 5(ख)(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
5	पैरा 6	अनिर्णीत
6	पैरा 7	अनिर्णीत
7	पैरा 11	निर्णीत (राशि मु0 350/—रुपये की वसूली रसीद संख्या 27829 दिनांक 5.2.2010 द्वारा कर ली गई ओर शेष सामान का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में कर लिया गया। प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच पर)
8	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 13	निर्णीत (दोषी कर्मचारी राकेश कुमार की उपायुक्त मन्दिर द्वारा जांच के उपरान्त दो वार्षिक वेतन वृद्धियों पर रोक लगाई है जिसकी जांच कर ली गई है)
11	पैरा 14	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं सम्बन्धित अभिलेख की जांच के उपरान्त)
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 16	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
14	पैरा 25(2)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
15	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
16	पैरा 26(ग)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)

17	पैरा 26(घ)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
18	पैरा 27	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
19	पैरा 28	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
20	पैरा 29	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
21	पैरा 30	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
22	पैरा 31	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
23	पैरा 32(1)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
24	पैरा 32(2)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
25	पैरा 33(1)	अनिर्णीत
26	पैरा 33(2)	अनिर्णीत
27	पैरा 34(क)	निर्णीत (संविदाकार की प्रतिभुति राशि मु0 21,130/–रुपये जब्त कर ली गई ओर प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
28	पैरा 34(ख)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
29	पैरा 34(ग)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
30	पैरा 34(ङ)	निर्णीत (राशि मु0 42/–रुपये की वसूली रसीद संख्या 28,400 दिनांक 21.2.2010 द्वारा कर ली गई है)
31	पैरा 34(च)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
32	पैरा 35(1)	निर्णीत (राशि मु0 8,008/–रुपये की वसूली माप पुस्तिका 34 पृष्ठ 92 में कर ली गई है)
33	पैरा 35(2)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
34	पैरा 38(1)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
35	पैरा 38(2)	अनिर्णीत
36	पैरा 40	अनिर्णीत
37	पैरा 41(2)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
38	पैरा 41(3)	निर्णीत (राशि मु0 30/–रुपये की वसूली रसीद संख्या 9406 दिनांक 23.2.06 द्वारा कर ली गई)
39	पैरा 41(5)	निर्णीत (राशि मु0 36/–रुपये की वसूली रसीद संख्या 189/3182 दिनांक 24.11.06 द्वारा कर ली गई)
40	पैरा 41(ii)	निर्णीत (यह पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित किया गया है)

¼p½ vdk{k.k ,oa fujh{k.k ifronu vof/k 01-01-2005 ls 31-12-2005

1	पैरा 4	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
2	पैरा 5	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)

3	पैरा 6(क व ख)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
4	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 8	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त। यह पैरा अंकेक्षण प्रतिवेदन 06–07 के पैरा 4 क(3) में पुनः प्रारूपित है)
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
9	पैरा 11	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
10	पैरा 12	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं सेवा पंजिकाओं की जांच के उपरान्त)
11	पैरा 13	अनिर्णीत
12	पैरा 14	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
13	पैरा 15	निर्णीत (यह पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 10 मे प्रारूपित है)
14	पैरा 16	अनिर्णीत
15	पैरा 17	निर्णीत (राशि मु0 350/–रुपये की वसूली रोकड़ बही पृष्ठ 11 में दिनांक 24.1.2008 व मु0 452/–रुपये की वसूली पृष्ठ 150 दिनांक 6.11.2006 को कर ली गई है)
16	पैरा 18	निर्णीत (राशि मु0 50/–रुपये की वसूली रोकड़ बही पृष्ठ 150 दिनांक 6.11.2006 को जमा कर ली गई)

¼N½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 01-01-2006 l 31-12-2007

1	पैरा 3	निर्णीत (नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 3 मे दर्षाई गई है)
2	पैरा 4	निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क जमा हो चुका है)
3	पैरा 5	निर्णीत (नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 मे दर्षाई गई है)
4	पैरा 6	निर्णीत (नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 मे दर्षाई गई है)
5	पैरा 7	निर्णीत (राशि मु0 3,854/–रुपये की वसूली रसीद संख्या 499/24620 दिनांक 24.6.09 द्वारा 172.825 मि0ग्रा0 चांदी की बाजारी भाव मु0 22,300/–रुपये प्रति किलो के हिसाब से करके जमा करवाई गई)
6	पैरा 8	निर्णीत (राशि मु0 1,250/–रुपये की वसूली रसीद संख्या 454/22481 दिनांक 18.10.2008 द्वारा कर ली गई है)
7	पैरा 9	निर्णीत (नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 9 मे दर्षाई गई है)

8	पैरा 10	अनिर्णीत
9	पैरा 11	अनिर्णीत
10	पैरा 12	निर्णीत (एक पंखे की प्राप्ति रसीद संख्या 24621 दिनांक 25.6.09 द्वारा करके स्टॉक रजिस्टर पेज 97 में दर्ज कर ली गई है)
11	पैरा 13	निर्णीत (राशि मु0 315/—रुपये की वसूली रसीद संख्या 499/24619 दिनांक 24.6.09 द्वारा (एक गैस सिलैण्डर की गैस भराई हेतु) कर ली गई है)
12	पैरा 14(क)	निर्णीत (बालन रजिस्टर की जांच उपरान्त बालन स्टॉक रजिस्टर के पेज 113,114 पर दर्ज है)
13	पैरा 14(ख)	निर्णीत (स्टॉक इन्द्राज की जांच के उपरान्त)
14	पैरा 14(ग)	निर्णीत (राशि मु0 200/—रुपये (एक क्विंटल बालन की कीमत) की वसूली रसीद संख्या 499/24818 दिनांक 24.6.09 द्वारा कर ली गई है)
15	पैरा 15 (क)(ख)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के आधार पर)
16	पैरा 16	निर्णीत (धरोहर राशि मु0 16,147/—रुपये की वसूली संविदाकार से माप पुस्तिका 28 पृष्ठ 72 में कर ली गई है व प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
17	पैरा 17	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच पर)
18	पैरा 18	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच पर)
19	पैरा 19	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
20	पैरा 20	निर्णीत (अभिलेख की जांच के उपरान्त एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
21	पैरा 21	अनिर्णीत
22	पैरा 22	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 10 में दर्षाई गई है)

(ii) vfrfjDr funs'kd] LFkkuh; ys[kk ijh{kk foHkkx fgekpy izns'k f'keyk&171009 ds fujh{k.k izfrosnu tks fd i"Bkdu la[;k% fQu¼,y0,½¼2½¼15½¼14½ 198@99 fnukad 06-04-2009 }kjk tkjh fd;k x;k ea lfEefyr iSjs %&

1	पैरा 4(क)(1)	अनिर्णीत (अन्तर का मिलान किया जाना शेष है)
2	पैरा 4(क)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(क)(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(ख)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख/सोना/श्रृंगार प्राप्ति एवं जारी रजिस्टर की जांच के उपरान्त)

Hkkx&nk

1 **orleku vad{k.k %&** श्री चामुण्डा नन्दिकेष्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि जनवरी, 2008 से दिसम्बर, 2009 का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री विजय कुमार वालिया (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री भवनीश पुरी (आर्टिकल–सहायक) द्वारा दिनांक 19.1.2010 से 25.2.2010 के दौरान चामुण्डा में किया गया जिसके परिणाम आगामी अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं माह 6/2008 व 6/2009 आय के लिये और माह 11/2008 व 4/2009 को व्यय के लिये विस्तृत जांच हेतु चुना गया है।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत नहीं की गई है की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

2 **vad{k.k 'kYd %&** श्री चामुण्डा नन्दिकेष्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा(हि0प्र0) के लेखों 1/2008 से 12/2009 तक का अंकेक्षण शुल्क मु0 29,700/–रुपये आंका गया है उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मन्दिर अधिकारी से परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेश षिमला–9 के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजने के लिये अंकेक्षण अधियाचना संख्या 380 दिनांक 22.02.2010 द्वारा अनुरोध किया गया।

3 **foÙkh; fLFkfr %&**

¼d½ श्री चामुण्डा नन्दिकेष्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2008 व 2009 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

	o"k 2008	0k"k 2009
अथषेष	1,62,78,161.00	2,26,43,176.00
पावतियां	1,74,07,198.00	1,84,87,454.00
ब्याज	10,60,111.00	20,55,088.64
कुलयोग	3,47,45,470.00	4,31,85,718.64
व्यय	1,21,02,294.00	1,34,40,352.00
अन्तषेष	2,26,43,176.00	2,97,45,366.64

vUrj dk dkj.k :–

दिनांक 31.12.2009 को बैंक में जमा राशि	2,98,44,177.64
रोकड़ बही के अनुसार अन्तषेष	2,97,45,366.64
अन्तर	98,811.00

चैक जो जारी किए गए परन्तु दिनांक 31.12.2009 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए

Ø0 l0	pd l[;k	fnukd	ftl tkjh fd; x;	
1	384759	05.10.09	अनिल गैस सर्विस धर्मषाला	10,110.00
2	116044	05.10.09	अनिल गैस सर्विस धर्मषाला	11,795.00
3	001405	27.10.09	चामुण्डा साईबर डाट	700.00
4	116048	22.12.09	हिम इन्टरप्राईजज कांगड़ा	4,200.00
5	001428	24.12.09	दिव्य हिमाचल	9,830.00
6	001426	25.12.09	रैडक्रास धर्मषाला	10,000.00
7	001505	25.12.09	रैडक्रास ऊना	10,000.00
8	116057	25.12.09	अनिल गैस सर्विस धर्मषाला	23,590.00
9	116049	25.12.09	अनिल गैस सर्विस धर्मषाला	11,795.00
10	116059	25.12.09	अनिल गैस सर्विस धर्मषाला	11,795.00
			tkM	1]03]815-00

चैक/ड्राफ्ट जो बैंक में प्रस्तुत किए गये परन्तु दिनांक 31.12.2009 तक बैंक में जमा नहीं हुए।

Ø0 l0	pd l[;k	fnukd	ftll iklr fd; x;	
1	137740	13.07.09	डी0सी0वी हैदराबाद	(–)5,004.00
			dy vUrj	98]811-00

vUr'k"k dk fooj.k %&

दिनांक 31.12.09 को बैंक में जमा राशि	5,70,493.64
सावधिक जमा में निवेश	2,92,73,684.00
dy tkM	2]98]44]177-64

fnukd 31-12-09 dk cd tek dk fooj.k %&

Ø0 l0	cd dk uke	[kkrk l[;k	jkf'k
1	सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया चामुण्डा	2488	45,081.00
2	सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया चामुण्डा	2191	3,32,173.00
3	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक पठियार	1910	1,80,534.00
4	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया धर्मषाला	011000055632	11,392.00
5	एच0डी0एफ0सी0 बैंक धर्मषाला	06051450000049	1,313.64
		dy tkM	5]70]493-64

¼[k½ <u>fuos'k</u> ½& श्री चामुण्डा नन्दिकेष्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा द्वारा राशि मु0 2,92,73,684.00 रुपये दिनांक 31.12.2009 को सावधि जमा में निवेश किये गये हैं। दिनांक 31.12.2009 को सावधि जमा के अन्तर्गत निवेषित राशियेां का विस्तार पूर्वक विवरण अगले पृष्ठ पर हैः—

4 lkuk %&

¼i½ o"k 2008 dk vkjfEHkd 'k"k%& 007&054&038 fdyk xke
o"k 2008 e i kIr lku dh dy ek=k dk fooj.k fuEu g%&

Øe l[;k	ekg@o"k	fdyk xke	xke	feyh xke
1	जनवरी 2008	0	256	030
2	फरवरी 2008	0	038	500
3	मार्च 2008	0	047	450
4	अप्रैल 2008	0	117	550
5	मई 2008	0	113	250
6	जून 2008	0	081	450
7	जुलाई 2008	0	052	850
8	अगस्त 2008	0	019	530
9	सितम्बर 2008	0	064	350
10	अक्तुबर 2008	0	033	900
11	नवम्बर 2008	0	056	700
12	दिसम्बर 2008	0	057	200
	;kx	0	938	760

वर्ष 2008 का आरम्भिक शेष	007	054	038	कि0ग्राम
वर्ष 2008 में प्राप्त सोने की मात्रा	000	938	760	कि0ग्राम
वर्ष 2008 का अन्तषेष	007	992	798	कि0ग्राम

¼ii½ o"k 2009 dk vkjfEHkd 'k"k %& 007&992&798 fd0xke
o"k 2009 e i kIr lku dh dy ek=k dk fooj.k fuEu g%&

Øe l[;k	ekg@o"k	fdyk xke	xke	feyh xke
1	जनवरी 2009	0	027	410
2	फरवरी 2009	0	018	870
3	मार्च 2009	0	044	980
4	अप्रैल 2009	0	019	810
5	मई 2009	0	026	740
6	जून 2009	0	025	010
7	जुलाई 2009	0	050	750

8	अगस्त 2009	0	013	900
9	सितम्बर 2009	0	058	060
10	अक्तुबर 2009	0	024	290
11	नवम्बर 2009	0	013	810
12	दिसम्बर 2009	0	009	450
	;kx	0	333	080

वर्ष 2009 का आरम्भिक शेष	007	992	798	कि0ग्राम
वर्ष 2009 में प्राप्त सोने की मात्रा	000	333	080	कि0ग्राम
वर्ष 2009 का अन्तषेष	008	325	878	कि0ग्राम
दिनांक 31.12.2009 को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज	008	277	378	कि0ग्राम
vUrj	000	048	500	fd0xke

LVkd jftLVj dk vuqlkj vUr'k"k dk fooj.k %&

	fdyks	xke	fe0xke
दिनांक 31.12.09 को सेफ में जमा मात्रा	005	821	488
पुजारियों के पास श्रृंगार हेतु मात्रा	002	455	890
दिनांक 31.12.2009 को कुल मात्रा	008	277	378

vUrj dk dkj.k %&

दिनांक 15.04.05 को स्टॉक रजिस्टर में सोने की अन्तर की मात्रा 48 ग्राम 500 मि0ग्रम को पुजारियों को श्रृंगार हेतु जारी किया गया ओर श्रृंगार हेतु जारी मात्रा में जोड़ लिया गया परन्तु श्रृंगार हेतु जारी अन्तर की मात्रा को स्टॉक रजिस्टर में सेफ में जमा सोने की मात्रा से माह 12/06 में घटाया गया परन्तु गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 2006–07 में सेफ में जमा सोने की मात्रा से उपरोक्त अन्तर की मात्रा को घटाये बिना ही अन्तषेष ले लिया गया।

उपरोक्त विवरणिका के अनुसार दिनांक 1.5.02 से 31.12.09 तक मन्दिर नन्दिकेष्वर ट्रस्ट चामुण्डा के पास सोने की कुल मात्रा 8 किलो 277 ग्राम 378 मि0ग्राम थी जबकि वास्तक में अन्तषेष 8 किलो 325 ग्राम 878 मि0ग्राम बनता है। अतः उपरोक्त प्रकरण से दरूस्ती हेतु आवष्यक कार्रवाई करके अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवधि 4/2002 तक जो सोने की मात्रा नन्दिकेष्वर ट्रस्ट चामुण्डा के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार थी का उल्लेख दिनांक 27.3.09 को अतिरिक्त निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला–9 द्वारा जारी पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए)(2)(15)(14)198/99 दिनांक

06.04.2009 के निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4(क) में दर्षाई गई है जिसके सन्दर्भ में अब स्थिति स्पष्ट कर दी जाए।

5 pknh %&

o"k 2008 dk vkjfEHkd 'k"k%& 561&937&329 fdyk xke
o"k 2008 e iklr pknh dh dy ek=k dk fooj.k fuEu g%&

Øe l[;k	ekg@o"k	fdyk xke	xke	feyh xke
1	जनवरी 2008	1	102	900
2	फरवरी 2008	0	351	300
3	मार्च 2008	2	217	350
4	अप्रैल 2008	1	858	550
5	मई 2008	2	021	000
6	जून 2008	1	736	730
7	जुलाई 2008	1	685	900
8	अगस्त 2008	1	053	050
9	सितम्बर 2008	1	536	750
10	अक्तुबर 2008	1	913	000
11	नवम्बर 2008	1	633	250
12	दिसम्बर 2008	1	903	900
	;kx	19	013	680

वर्ष 2008 का आरम्भिक शेष	561	937	329	कि0ग्राम
वर्ष 2008 में प्राप्त चांदी की मात्रा	19	013	680	कि0ग्राम
वर्ष 2008 का अन्तषेष	580	951	009	कि0ग्राम

o"k 2009 dk vkjfEHkd 'k"k %& 580&951&009 fd0xke
o"k 2009 e iklr pknh dh dy ek=k dk fooj.k fuEu g%&

Øe l[;k	ekg@o"k	fdyk xke	xke	feyh xke
1	जनवरी 2009	1	640	140
2	फरवरी 2009	1	042	440
3	मार्च 2009	1	248	800

4	अप्रैल 2009	1	907	500
5	मई 2009	1	941	600
6	जून 2009	2	092	500
7	जुलाई 2009	1	532	000
8	अगस्त 2009	1	559	000
9	सितम्बर 2009	1	367	000
10	अक्तुबर 2009	0	923	500
11	नवम्बर 2009	1	050	500
12	दिसम्बर 2009	0	927	500
	;kx	17	232	480

वर्ष 2009 का आरम्भिक शेष	580	951	009	कि0ग्राम
वर्ष 2009 में प्राप्त चांदी की मात्रा	17	232	480	कि0ग्राम
वर्ष 2009 का अन्तषेष	598	183	489	कि0ग्राम
दिनांक 31.12.2009 को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज	455	508	822	कि0ग्राम
vUrj	142	674	667	fd0xke

vUrj dk dkj.k %&

	fdyk	xke	fe0xke
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005 के पैरा संख्या क व ख में दिये विवरणा अनुसार कम दर्षाई गई मात्रा	142	501	842
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 के पैरा संख्या 7 में दिये विवरण अनुसार कम दर्षाई गई मात्रा	0	172	825
	142	674	667

अतः उपरोक्त अन्तर का प्रकरण आयुक्त, मन्दिर न्यास के ध्यान में इस आष्य के साथ लाया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर में चांदी की उक्त कम मात्रा की पूर्ण छानबीन करके परिणामों से शीघ्र इस विभाग को अवगत किया जाए।

6 okÅpj l[;k 33 fnukd 8-11-2008] jk'kh e0 33]51]09@&#i; okÅpj l[;k 78] fnukd 17-04-2009 jkf'k e0 7]974@&#i;A

कार्य का नाम — C/o Rain Shelter cum W.C. Block Gents /Ladies at main entrance gate Temple Shree Chamunda Nandikeshwar N.H.Road to Dharmshala.

संविदाकार का नाम	श्री अंकुश धीमान
अनुबन्ध संख्या	72 वर्ष,2008
बिल संख्या	तीसरा से पांचवें व अन्तिम चलत बिल तक
माप पुस्तिका संख्या	32(पेज 45 से 48) और 35(पेज 4 से 13 तक)

उपरोक्त निर्माण कार्य मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेषवर घाम–चामुण्डा द्वारा संविदाकार श्री अंकुश धीमान को पत्र संख्या Const. 1/2008 Cha. Na. Ma. No. 694–701 दिनांक 27.3.2008 द्वारा कुल राशि मु0 12,78,059 रुपये में आबंटित किया गया है। राशि मु0 3,35,109 रुपये का भुगतान संविदाकार को तीसरे चलत बिल के लिए चैक संख्या 1190 दिनांक 8.11.2008 और राशि मु0 7,974 रुपये का भुगतान पांचवे व अन्तिम बिल के लिए चैक संख्या 1293 दिनांक 17.4.2009 द्वारा किया गया हैं। उपरोक्त निमार्ण कार्य से सम्बन्धित उपरोक्त बिलों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पड़ताल पर निम्नलिखित आपतियां दर्ज की गई हैं :–

¼i½ mijkDr fuek.k dk;Z dk iFke VsaMj dks jnn djus ls efUnj U;kl dks 2]36]812 #i;s dh gkfu ckjs ¼&

जांच पड़ताल पर पाया गया कि आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश कांगड़ा द्वारा उपरोक्त निमार्ण कार्य के लिए प्रथम बार दिनांक 19.9.2007 को टैंडर आमन्त्रित किए जिसमें निम्नलिखित चार फर्मो द्वारा अपनी निम्न दरें अंकित की गई थी।

Øe la[;k	lafonkdkj dk uke	dqy jkf'k
1	श्री पल्लव मैहरा, गांव पठियार	10,41,247.00
2	मैं0 के. कुमार एण्ड कम्पनी, नगरोटा बगवां	10,61,882.00
3	मैं0 अषोक कुमार गांव गांमरू	12,54,072.00

चौथी फर्म मैं0 महाजन इन्द्रप्राईज़िज नगरोटा बगवां द्वारा बहुत ऊंची दरें भरी थी।

इस टैण्डर को सहायक आयुक्त (मन्दिर) द्वारा इसलिए रद्द कर दिया गया कि सबसे कम बोली लगाने वाली फर्म ने टैण्डर में कटिंग की थी और दिनांक 24.9.2007 को उक्त निमार्ण कार्य के लिए दुबारा टैण्डर बुलाने के आदेश दिए गये। सहायक आयुक्त (मन्दिर) का यह फैसला उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि श्री पल्लव मैहरा ने टैण्डर की दरों में जगह–जगह कटिंग की थी परन्तु सभी कटिंग पर हस्ताक्षर किए हुए थे अतः उसे बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाया जाना चाहिए था न कि बिना सोचे टैण्डर को रद्द कर देना चाहिए था। दूसरी बार जब दिनांक 18.1.2008 को पुनः टैण्डर खोले गये तो निम्नलिखित संविदाकारों द्वारा अपनी न्यून दरें निम्नप्रकार से अंकित की।

Øe la[;k	lafonkdkj dk uke	dqy jkf'k
1	श्री अंकुश धीमान, गांव तरसूह	15,63,104.00
2	श्री रामपाल, गांव भागसुनाग	25,80,049.00
3	श्री पल्लव मैहरा, गांव पठियार	30,13,529.00

श्री अंकुश धीमान की दरें सबसे कम होने के कारण उन्हें बातचीत के लिए दिनांक 4.2.2008 को बुलाया गया। संवदिकार ने नैगोसिएषन के दौरान अपनी दरें कम करके कुल 12,78,059 रुपये कर दी जिसपर उन्हें मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 27.3.2008 को कार्य का आबंटन पत्र जारी कर दिया। इस प्रकार पहले टैण्डर को अनुचित ढंग से रद्‌द करने पर मन्दिर न्यास को 2,36,812 रुपये (12,78,059 – 10,41,247) की हानि उठानी पड़ी जिस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाऐ अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाए क्योंकि दूसरी बार ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकारों न आपस में मिलकर दरें भरी थी ओर किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नही की क्योंकि श्री पल्लव मैहरा ने पहली बार 10,41,247 रुपये की राशि भरी जबकी दूसरी बार 30,13,529 रुपये की राशि भरी जिस पर टैण्डर खोलने वाली कमेटी ने जानबूझकर ध्यान नही दिया जोकि एक बहुत गम्भीर मामला है। अतः यह मामला आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश कांगड़ा के विषेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इसकी पुरी जांच करवाई जाए ओर चूक कर्त्ता के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼ii½ उपरोक्त निमार्ण कार्य की प्रषासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति (A.A&E.S) आयुक्त (मन्दिर) से प्राप्त नहीं की गई है। जब आयुक्त (मन्दिर) के (A.A&E.S) स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था तो उन्होंने दिनांक 30.8.2007 को फाईल नोटिंग नं0 3 पर लिखा था कि “It may be proposed for funding from Tourism department under the temple circuil project, for which metter be taken up with DTDO/Comminssioner(Tourisim).

अंकेक्षण अवधि तक Tourism विभाग से कोई भी (A.A&E.S) प्राप्त नहीं हुई ओर न ही कोई धनराषी प्राप्त हुई सारा खर्च मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेष्वर धाम से बिना (A.A&E.S) के किया गया है।

अतः Tourism विभाग से उक्त निर्माण कार्य पर हुए पुरे खर्च मु0 12,97,300 रुपये की प्रतिपूर्ती हेतु पुनः प्रस्ताव सरकार (आयुक्त टूरिज़्म) को भेजा जाए अन्यथा आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश कांगड़ा से पूरे खर्चे की कार्योतर (एक्सपोर्ट फैक्ट) स्वीकृति प्राप्त की जाऐ व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाऐ।

¼iii½ <u>lafonkdkj dks jkf'k e0 2000 #i;s dk vf/kd Hkqxrku ckjs ¼&</u>

पांचवें व अन्तिम चलत बिल की जांच पड़ताल पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 4(i) जोकि P/L from work of ordinary steel shuttering से सम्बन्धित थी, की कुल निष्पादित मात्रा 453. 62 वर्ग मीटर के लिए 140 रुपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से 65,508.20 का भुगतान किया गया जबकि वास्तव में भुगतान 63,508.20 बनता था। अतः संविदाकार को गलत गणना के फलस्वरूप 2000 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाऐ। संविदाकार को यह अधिक भुगतान वास्तव में तीसरे चलत बिल में किया गया था परन्तु अन्तिम चलत बिल तक इस अधिक भुगतान की राशि को समायोजित/वसूल नहीं किया जा सका।

7 <u>efUnj ifjlj esa 'kkSpky; fuekZ.k dk dk;Z lafonkdkj }kjk iwjk u djus ds QyLo:i efUnj U;kl dks 5-62 yk[k dh gkfu ckjs ¼&</u>

¼i½ मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2005 में मन्दिर न्यास परिसर में शौचालय निमार्ण की योजना बनाई गई और इस कार्य को करवाने हेतु टैण्डर आमन्त्रित किए गये। न्यूनदर अंकित करने बाले संविदाकार मैं0 योगेश महाजन को अनुबन्ध संख्या 64 वर्ष 2005 के अन्तगर्त यह निमार्णकार्य कुल राशि 15,80,400 रुपये में पत्र संख्या 1/2005 Cha. Na. Ma. No. 3044 दिनांक 22.10.2005 द्वारा आबंटित किया गया। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार यह निमार्ण कार्य 9 माह अर्थात दिनांक 6.8.2006 तक पुरा किया जाना निर्धारित हुआ। अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि संविदाकार द्वार कुल 20 प्रतिषत निमार्णकार्य पुरा करने के उपरान्त बिना बताये निमार्ण कार्य बन्द कर दिया गया, जिस बारे मन्दिर अधिकारी द्वारा संविदाकार को निमार्ण कार्य शीघ्र पुरा करने के लिए पत्र संख्या चा0 न0 मा0 नं0 1/2006–4109–10 दिनांक 4.11.2006 द्वारा ज्ञापन जारी किया गया। संविदाकार द्वारा मन्दिर न्यास को उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया गया कि वह अनुबन्ध में दी गई दरों पर कार्य करने में असमर्थ है और अगर उन्हें वर्तमान बाजार भाव दिए जाऐं तभी निमार्ण कार्य शुरू करेंगे। संविदाकार द्वारा पुनः दिनांक 26.2.2007 को सहायक आयुक्त(मन्दिर) को पत्र द्वारा सूचित किया गया कि अगर उन्हें अनुबन्ध की दरों पर 15 प्रतिषत या दो लाख रुपये की बढ़ोतरी दी जाती है तो वह निमार्ण कार्य पुनः 5 दिन के अन्दर शुरू कर देंगें। इस पर मन्दिर अधिकारी कार्यालय के ज्ञापन संख्या चा0 न0 मा0 1/2007–1361–62 दिनांक 20.6.2007 द्वारा संविदाकार को निमार्ण कार्य शीघ्र पुरा करने हेतु लिखा गया अन्यथा संविदाकार के विरूद्ध अनुबन्ध की शर्तों अनुसार उचित कार्यवाही करने और जमा करवाई गई धरोहर राशि जब्त करने बारे लिखा गया।

अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकार के विरूद्ध अनुबन्ध की शर्त–6 के अनुसार निर्धारित अवधि में निमार्ण कार्य पुरा न करने के लिए आयुक्त(मन्दिर) द्वारा टैण्डर कॉस्ट का 10 प्रतिषत राशि तक दण्ड लगाया जाना चाहिए था जोकि 1,58,040 रुपये बनता है लेकिन इस शर्त की उपेक्षा करके मन्दिर न्यास अधिकारियों ने संविदाकार द्वारा किए गये निमार्ण कार्य की पैमाइश कर जुलाई, 2007 में संविदाकार को राशि मु0 3,92,397 रुपये का भुगतान कर दिया गया। इसके उपरान्त मन्दिर अधिकारी के पत्र संख्या चा0 न0 मा0–1/2005–षौचालय निमार्ण –2753–57 दिनांक 25.9.2007 द्वारा अनुबन्ध संख्या 64/05 को रद्द कर दिया और संविदाकार द्वारा जमा करवाई गई (अरनैस्ट मनी) मु0 35,850 रुपये और प्रतिभूति राशि मु0 29,652 रुपये जब्त करके मन्दिर न्यास खाते में जमा कर ली गई।

उपरोक्त प्रक्रिया से स्वतः प्रतीत होता है कि प्राधिकारियों द्वारा विहित शर्तों के अनदेखा करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है जिसके परिणामस्वरूप मन्दिर न्यास को 92,538 रुपये (1,58,040–(35,850+29,652) की हानि हुई है। अतः इस हानि की क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध जिम्मेवारी निर्धारित की जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत किया जाए।

¼ii½ मन्दिर न्यास द्वारा शौचालय के बचे हुए निमार्णकार्य को पुरा करने के लिए मैं0 सुलभ इन्टरनेषनल सोषल सर्विस आर्गेनाईजेषन चण्डीगढ़ से अनुबन्ध संख्या 78 दिनांक 7.7.2008 द्वारा कुल राशि मु0 17,50,000 रुपये में समझोता हस्ताक्षरित किया। अगर मैं0 सुलभ इन्टरनेषनल इस बचे हुए

निमार्णकार्य को 17.50 लाख रुपये में पुरा कर भी देती है तो इस निमार्णकार्य की कुल लागत 21,42,397 रुपये (17,50,000 + 3,92,397) आएगी। अतः संविदाकार मैं0 योगेश महाजन द्वारा उपरोक्त निमार्णकार्य को पुरा न करने पर मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेषवर को कुल 5,61,997 रुपये (21,42,397–15,80,400) की हानि उठानी पड़ी है जिस बारे अंकेक्षण को स्थिति स्पष्ट की जाए।

¼**iii**½ संविदाकार श्री योगेश महाजन को दिनांक 3.8.2007 को किए गये कुल भुगतान राशि मु0 3,92,397 रुपये के निमार्ण कार्य की पैमाईश माप पुस्तिका 32 के पृष्ठ 1 से 17 में दर्ज है। इस पैमाईश की जांच पड़ताल से ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार द्वारा निष्पादित निमार्णकार्य की अधिक गणना करके अनुचित लाभ पहुंचाया गया है क्योंकि एक मद जो एम0एस0 टोर स्टील से सम्बन्धित थी जिसकी डी0एन0आई0टी में कुल मात्रा 2044.17 किलोग्राम आंकी गई थी के लिए संविदाकार को 5989.83 किलोग्राम का भुगतान किया गया है। जोकि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि डी0एन0आई0टी में आंकी गई मात्रा से लगभग तीन गुणा ज्यादा का भुगतान संवदिाकार को किया गया, जो संदेहास्पद है। ऐसा प्रतीत होता है कि निष्पादित की गई मात्रा की अधिक गणना माप पुस्तिका में दर्ज करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है।

इसके अतिरिक्त जांच पड़ताल पर पाया गया कि जब इस निमार्ण कार्य का पुनः टैण्डर करके मैं0 सुलभ इन्टरनेषनल चण्डीगढ़ को कार्य आबंटित किया गया तो उन्हें भी इसी मद के माप पुस्तिका 35 पेज 29 से 35 में 3010.83 किलोग्राम का भुगतान किया गया है। अतः एक छोटे से निमार्ण कार्य में इतनी महत्वपूर्ण मद में इतना ज्यादा विचलन उचित प्रतीत नहीं होता। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है जिसकी पुरी जांच पड़ताल करवाई जाए। एम0एस0 टोर स्टील से सम्बन्धित अन्य मदों जैसे कि सी0सी0 1 : 2 : 4 इत्यादि की कार्यमात्रा को भी मापपुस्तिका में अधिक इन्द्राज लेकर संविदाकार श्री योगेश महाजन को अनुचित लाभ पहुंचाया जाना प्रतीत होता है। अतः यह मामला आयुक्त(मन्दिर) एंव जिलाधीश कांगड़ा के ध्यान में विषेष रूप से लाया जाता है ताकि इस प्रकरण में आवष्यक छानबीन करवाई जाए व परिणाम से यथासमय इस विभाग को अवगत किया जाए।

8 fcy u0 599] fnukad 25-11-2008 jkf'k e0 5]25]000 #i;s fcy u0 163] fnukad 17-4-2009 jkf'k e0

निमार्ण कार्य का नाम	C/o Toilet block near private parking place or back side of sarain building at Chamunda Nandikeshwar.
संविदाकार का नाम	M/s Sulabh International Social Services Organisation-Chandigarh.
अनुबन्ध संख्या	78 of 2008
मापपुस्तिका संख्या	35 पेज 29 से 36 तक

उपरोक्त निमार्ण कार्य मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेषवर धाम द्वारा मैं0 सुलभ इन्ट्रनेषनल संख्या चण्डीगढ़ को दिनांक 7.7.2008 द्वारा कुल राशि 17,50,000 रुपये में आबंटित किया ओर निमार्णकार्य को पूर्ण करने की अवधि एक वर्ष तय की गई हैं। उपरोक्त बिलों की जांच पड़ताल पर निम्नलिखित आपतियां दर्ज की गई है।

¼i½ उपरोक्त निमार्णकार्य अंकेक्षण अवधि तक पुरा नहीं हो पाया था जबकि संविदाकार को निमार्णकार्य पूर्ण करने की समय अवधि 6 महीने पहले ही समाप्त हो चुकी है। अनुबन्ध की शर्त 15 के अनुसार संविदाकार अगर निमार्णकार्य समय पर पुरा नहीं करेगा तो मन्दिर न्यास उसपर 1 प्रतिषत से लेकर 10 प्रतिषत तक का दण्ड लगा सकता है परन्तु जांच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अभी तक संविदाकार के विरूद्ध कोई दण्डातमक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है जिस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼ii½ मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेषवर धाम द्वारा संविदाकार मैं0 सुलभ इन्ट्रनेषनल सोषल सर्विस आर्गेनाईजेषन चण्डीगढ़ को निम्न विवरणानुसार राशि का भुगतान किया गया है।

Øekad	fnukad	pSd la[;k	jkf'k
1	13.7.2008	1114	3,50,000.00
2	1.12.2008	1200	5,25,000.00
3	17.4.2009	1294	5,28,809.00
4	31.10.2009	—	3,06,815.00
		dqy ;ksx	17]10]624-00

निमार्णकार्य अभी भी प्रगति पर है और ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माणकार्य की कुल लागत जो अनुबन्ध में 17,50,000 रुपये तय हुई थी, के बढ़ने की सम्भावना है जबकि अनुबन्ध की शर्त 10 के अनुसार जोकि इस प्रकार से है, “That the work shall be completed within the sanctioned amount, No additional funds/compensation shall be provided for price escalation in material or any other things/items or the increase in wages, tarrifs etc.”

अतः उपरोक्त निमार्णकार्य को अनुबन्धित राशि के अन्दर पूर्ण किया जाना सुनिष्चित किया जाए और निमार्णकार्य में हुई देरी के लिए अनुबन्ध की शर्त 15 के अनुसार मैं0 सुलभ इन्ट्रनेषनल चण्डीगढ़ से दण्ड वसूलना भी सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

9 jkf'k eq0 4]65]825 #i;s ukSdk;ku dk cdk;k fdjk;s ckjs %&

मन्दिर कार्यालय के पत्र संख्या 1/2004–1017–18 दिनांक 05.04.2004 द्वारा श्री धर्मपाल सिंह ठेकेदार निवासी बिलासपुर को कृत्रिम झील में नौकायान के लिये टैण्डर के माध्यम से किराये पर दिया गया व टैण्डर की शर्तों के अनुसार ठेके की राशि मासिक किष्त बार वसूली जानी अपेक्षित थी परन्तु ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि समाप्त होने पर भी बकाया किराया जमा नहीं करवाया गया। परिणामस्वरूप अवधि 12/2009 तक उक्त ठेकेदार से राशि मु0 3,82,492 रुपये वसूले जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार मन्दिर कार्यालय के पत्र संख्या 1/2009–351–353 दिनांक 01.03.2009 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार ठेकेदार निवासी अमृतसर को कृत्रिम झील में नौकायान के लिये टैण्डर के माध्यम से किराये पर दिया गया परन्तु ठेकेदार द्वारा समय पर किराया जमा नहीं करवाया जा रहा हैं। परिणामस्वरूप अवधि 12/2009 तक उक्त ठेकेदार से राशि मु0 83,333 रुपये वसूले जाने अपेक्षित है। यह गम्भीर मामला आयुक्त मन्दिर के

ध्यान में लाया जाता है। अतः बकाया किराये राशि मु0 4,65,825 रुपये को दण्ड ब्याज सहित वसूलने हेतु मन्दिर न्यास द्वारा उचित पग उठाये जायें व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

ukdk;ku dk cdk;k fdjk;k jkf'k e0 4]65]825 #i;s dk foLrkjiwoZd fooj.k fuEu izdkj ls gS %&

वर्ष 2008 की ठेका राशि	5,12,435.00
पिछला बकाया किराया	4,00,853.00
योग	9,13,288.00
वर्ष 2008 में प्राप्त भुगतान	3,21,000.00
31.12.2008 को बकाया राशि	5,92,288.00
वर्ष 2009 की ठेका राशि	2,66,667.00
पिछला बकाया किराया	5,92,288.00
योग	8,58,955.00
वर्ष 2009 में प्राप्त भुगतान	3,93,130.00
31.12.2009 को बकाया किराया	4,65,825.00

10 dsUnzh; iwy esa nh xbZ jkf'k e0 4-50 yk[k dh vuqfpr Hkqxrku ckjs %&

मन्दिर न्यास के अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि वर्ष 2008 में 1,50,000.00 रुपये की राशि और वर्ष 2009 में 3,00,000.00 रुपये की राशि केन्द्रीय पूल में जमा करवाई गई है। पूर्व में भी मन्दिर न्यास निधि से लाखों रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय पूल में जमा करवाई जा रही है जिसके बारे में प्रत्येक अंकेक्षण प्रतिवेदन में आपत्ति उठाई जाती रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संसाी ओर पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की किसी भी धारा/नियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि मन्दिर न्यास निधि से धनराशि निकालकर केन्द्रीय पूल में जमा करवाई जाऐ।

ऐसा प्रतीत होता है कि जब मन्दिर का बजट तैयार व पारित करवाया जाता है तो जानबूझ कर बजट में केन्द्रीय पूल के लिए धन का प्रावधान करवाया जाता है जोकि उचित प्रतीत नही होता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था ओर पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 के चैप्टर VI 'Budget and Maintenance of Accounts' के नियम 22(1)(2)(3) व (4) के अन्तर्गत आयुक्त(मन्दिर) को केन्द्रीय पूल जैसी मद के लिए हर वर्ष बजट से खर्चे का प्रावधान करने का कोई अधिकार प्राधिकृत नहीं किया गया है। अतः इस प्रकरण में ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा मन्दिर न्यास से आजतक जो भी धनराषी केन्द्रीय पूल में जमा की गई हैं का वापिस मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाये। अंकेक्षण अवधि तक जो धनराशि मन्दिर न्यास निधि से केन्द्रीय पूल में जमा करवाई गई है, उसका वर्षबार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

Øekad	o"kZ	jkf'k
1	1995	1,00,000.00
2	1997	1,50,000.00

3	1998	1,00.000.00
4	1999	1,00,000.00
5	2001	50,000.00
6	2002	50,000.00
7	2003	50,000.00
8	2004	1,00,000.00
9	2005	1,50,000.00
10	2006	1,50,000.00
11	2007	1,50,000.00
12	2008	1,50,000.00
13	2009	3,00,000.00
	dqy ;ksx	16]00]000-00

उपरोक्त धनराशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राशि किस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय पूल से खर्च की गई का कोई भी अभिलेख मन्दिर न्यास के पास नहीं है अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में बजट तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि बजट में ऐसी किसी मद में खर्चे का प्रावधान न रखा जाए, जिसका अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

अतः यह मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुक्त एवं सचिव(भाषा) और आयुक्त(मन्दिर) के ध्यान में विषेष रूप से लाया जाता है ताकि मन्दिर न्यास के धन का दुर्विनियोजन रोका जा सके अन्यथा अगर केन्द्रीय पूल में धनराशि जमा करवाना अत्यावष्यक प्रतीत होता है तो मन्दिर न्यास के अधिनियम 1984 में हिमाचल प्रदेश सरकार से संषोधन प्रस्ताव विधानसभा में पारित करवाया जाये।

11 efUnj U;kl dh Hkw lEifÙk;ksa dk vfHkys[k rS;kj djus ckjs %&

मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेष्वर धाम की भूसम्पति अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास के पास प्रदेश में किन–किन जगहों पर भूसम्पति है का पुरा व विष्वसनीय अभिलेख तैयार नहीं किया गया है क्योंकि मन्दिर न्यास को दिनांक 23.6.2008 को चैक संख्या 373381 ओर 373382 द्वारा कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता एवं उपमण्डल अधिकारी(ना0) धर्मषाला से राशि मु0 5,87,767 रुपये और 4,15,976 रुपये प्राप्त हुए उक्त राशि की प्राप्ती के कारणों बारे जब जांच पडताल की गई तो पता चला कि यह राशि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः महाल पधर मौजा जदरांगल तहसील धर्मषाला में चामुण्डा नन्दिकेषवर परिसर के विस्तार तथा यात्रियों की आवष्यक सुविधाएं जुटाने हेतु भूमि को अधिग्रहण करने पर भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 11 के अर्न्तगत घोषित आवार्ड के तहत अन्य लोगों की भूमि के अतिरिक्त श्री चामुण्डा मन्दिर न्यास की भूमि जो खसरा नं0 427 से 431 में थी, का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के फलस्वरूप यह राशि प्राप्त हुई थी, जब उपरोक्त भूसम्पति बारे पूर्ण अभिलेख मांगा गया तो बताया गया कि अभी तक मन्दिर न्यास द्वारा अपनी समस्त भूसम्पतियों का अभिलेख तैयार किया जा रहा है। जिसका इन्द्राज एक

रजिस्टर में दर्ज किया गया है इस रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि श्री चामुण्डा नन्दिकेषवर धाम की हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर मन्दिर न्यास के नाम भूसम्पतियां है परन्तु यह अभिलेख किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नही किया गया है :–

Øekd	iVokj ,o rglhy	dy {k=Qy	fooj.k
1	जदरांगल, धर्मषाला	1.51.12 हैक्टर	मन्दिर स्थित भूमि
2	आईमा, पालमपुर	0.21.74 हैक्टर	मन्दिर के नाम दान भूमि
3	पालमपुर, पालमपुर	0.04.04 हैक्टर	मन्दिर के नाम दान भूमि
4	मथरेहड़, पालमपुर	0.07.98 हैक्टर	मन्दिर के नाम दान भूमि
5	चाहड़ी, कांगड़ा	0.13.44 हैक्टर	मन्दिर के नाम दान भूमि
6	बलधर, कांगड़ा	0.06.93 हैक्टर	मन्दिर के नाम दान भूमि
7	रजोल, शाहपुर	1.04.07 हैक्टर	मन्दिर के नाम दान भूमि
8	मनेई, हारचक्कियां	0.80.72 हैक्टर	मन्दिर के नाम दान भूमि

अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास को उपरोक्त भूमि से किसी भी प्रकार की आया प्राप्त नहीं हो रही है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मन्दिर प्रषासन का इन भूसम्पतियों पर कोई ध्यान नहीं है अतः यह परामर्ष दिया जाता है कि मन्दिर न्यास के नाम प्रदेश में जितनी भी भूसम्पतियां दर्ज है उनकी वस्तुस्थिति जैसे कि भूमि की मौके की किस्म, कब्जा इत्यादि बारे विस्तृत अभिलेख तैयार किया जाए और इन भूसम्पतियों से मन्दिर न्यास के लिए आय अर्जित करने का प्रयास किया जाए। अगर इन भूसम्पतियों पर फलदान पौधे हैं या घासणी इत्यादि ही है, तो इन परिस्थितियेां में भी सालाना उनकी निलामी की जाए और मन्दिर न्यास के लिए आय प्राप्त की जाए अन्यथा हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त करके इन भूसम्पतियों को लीज पर देने बारे भी विचार किया जा सकता है। अतः यह मामला आयुक्त(मन्दिर) एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया जाता है ताकि उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सके अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 efUnj vf/kdkjh dk efUnj U;kl fuf/k l iifrekg n; ikfjJfed@vfrfFk lrdkj HkÙk d Hkxrku ckj %&

¼i½ अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास खाते से प्रतिमाह मन्दिर अधिकारी को राशि मु0 1500 रुपये का भुगतान बतौर पारिश्रमिक/अतिथि सत्कार भत्ते के रूप में किया जा रहा है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मन्दिर अधिकारी के पद पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने तहसीलदार के पद पर कार्यरत किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और हिमाचल प्रदेश सरकार अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को किसी बोर्ड/ट्रस्ट या अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्त करने के फलस्वरूप उस कर्मचारी/अधिकारी को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान(जैसे कि प्रतिनियुक्ति भत्ता इत्यादि) देय नहीं है।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर अधिकारी को परिश्रमिक/अतिथि सत्कार भत्ते के रूप में किए गये 36000 रुपये के भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली

करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाना सुनिष्चित की जाऐ व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

¼ii½ मन्दिर अधिकारी को जो पारीश्रमिक/अतिथि सत्कार भत्ते का भुगतान किया जा रहा, यह किस प्रायोजन हेतु खर्च किया जाना है, इस बारे कोई दिषानिर्देश या नियम तय नहीं किए गये है। अगर यह राशि मन्दिर अधिकारी द्वारा किसी विषेष मद पर खर्च करने हेतु प्राप्त की जा रही है तो उस बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए। अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिमाह 1500 रुपये की राशि को किसी भी मद पर खर्च नहीं किया जा रहा है अपितु इसे निजी उपयोग हेतु ही प्राप्त किया जा रहा है क्योंकि मन्दिर में जब भी कोई अतिविशिष्ट व्यक्ति या अन्या व्यक्ति माता के दर्षनों के लिए आता है ओर मन्दिर अधिकारी से मिलता है तो उसके सत्कार के लिए जो भी जलपान दिया जाता है वो मन्दिर न्यास खाते से खर्च वहन किया जाता है। चाय तो प्रतिदिन मन्दिर मे ही तैयार की जाती है जिसके लिए दूध/चीनी इत्यादि मन्दिर खाते से खरीदी जाती है इसका सेवन मन्दिर में नियुक्त सभी कर्मचारी प्रतिदिन मुफ्त में करते हैं और जब कभी मन्दिर में अतिविशिष्ट व्यक्ति का आगमन होता है तो उनके सतकार के लिए मन्दिर न्यास खाते से अतिरिक्त सामान खरीदा जाता है। इस संदर्भ में अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में खरीदे गये सामान का विवरण निम्नप्रकार से है :–

Øekd	fcy u0@fnukd	lkeku dk fooj.k	jkf'k
1	045/5.4.09	मिनरल वाटर–4 बोतल	56.00
2	1934/19.2.09	जूस–4 बोतल	40.00
3	2185/30.2.09	जूस(लीची)–5 बोतल	50.00
4	शून्य/5.4.09	जूस(लीची)–4 बोतल	144.00
5	शून्य/11.4.09	जूस(लीची)–2 बोतल	72.00
6	1278/14.11.08	जूस(लीची)–16 बोतल	160.00
		d|y ;kx e|0	522-00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मन्दिर अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिमाह 1500 रुपये की राशि पूर्ण रूप से अपने निजि उपयोग हेतु खर्च की जा रही है जिसका भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार के दिषानिर्देषों के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता। अतः इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार से आयुक्त एंव सचिव(भाषा) के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए कि मन्दिर अधिकारी को देय भुगतान नियमानुसार उचित है या नही, अन्यथा इस राशि की वसूली करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए।

13 [kk| lkexh LVkd jftLVj e| [kk| inkFkk d xyr [kkfjt d QyLo:i efUnj U;kl dk gbi gkfu ckj %&

खाद्य सामग्री के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार खाद्य पदार्थों की वास्तव में जारी/प्राप्त की गई मात्रा और स्टॉक रजिस्टर में गलत खारिज/प्राप्त की गई मात्रा के अन्तर के फलस्वरूप मन्दिर न्यास को हानि हुई है।

fnukd	lkeku dk fooj.k	vFk'k"k	tkjh@izkIr dh xbZ ek=k	okLrfod vUr'k"k	LVkd jftLVj e vUr'k"k	n:i;ksx ek=k
01.08.09	चीनी	2.61 क्विंटल	3.000 कि0ग्रा0	2.58 क्विंटल	1.58 क्विंटल	1.00 क्विंटल
27.03.09	चावल	30.47.500 क्विंटल	(+)95.000 कि0ग्रा0	31.42.500 क्विंटल	31.02.500 क्विंटल	40 कि0ग्राम
20.06.08	आटा	3.61 क्विंटल	6.000 क्विंटल	3.55 क्विंटल	3.25 क्विंटल	30 कि0ग्राम
15.06.08	लाल मिर्च	4.150 कि0ग्राम	0.400 ग्राम	3.75 कि0ग्राम	2.75 कि0ग्राम	1 कि0ग्राम

अतः उपरोक्त सामग्री का सम्बन्धित न्यास कर्मचारियों द्वारा जिन्हें इसकी अभिरक्षा का दायित्व सौंपा गया है द्वारा दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। दुरूपयोग किये गये सामान के बाजारी मूल्य की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर मन्दिर निधि में जमा करवाई जाये व की गई कार्यवाही से यथासमय इस विभाग को अवगता करवाया जाये।

14 iLrd foØ; l lEcfU/kr jkf'k e0 972¼595$377½ #i; efUnj U;kl fuf/k e de tek djokus ckjs ¼&

¼i½ पुस्तक विक्रय से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जांच पड़ताल पर पाया गया कि माह जून 2008 में पुस्तक विक्रय स्टॉक रजिस्टर अनुसार राशि मु0 44,807 रुपये की पुस्तकें विक्रय हेतु जारी की गई, परन्तु रोकड़ बही में केवल 44,212 रुपये की राशि ही जमा करवाई गई। इस प्रकार राशि मु0 595 रुपये माह जून 2008 में पुस्तक विक्रय के कम जमा करवाए गए, जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा चूककर्ता से इस राशि की वसूली करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए ओर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼ii½ इसी प्रकार माह जून 2009 में पुस्तक विक्रय स्टॉक रजिस्टर अनुसार राशि मु0 32,782 रुपये की पुस्तकें विक्रय हेतु जारी की गई परन्तु रोकड़ बही में केवल 32,405 रुपये की राशि माह जून 2009 में जमा करवाई गई। इस प्रकार राशि मु0 377 रुपये रोकड़ बही में कम जमा करवाये गये। अंकेक्षण के दौरान जब यह मामला मन्दिर अधिकारी के साथ उठाया गया तो उन्होंने दोषी कर्मचारी से राशि मु0 377 रुपये की वसूली करके रसीद संख्या 16312/274 दिनांक 16.2.2010 द्वारा मन्दिर न्यास निधि में जमा करवा दिये, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है।

15 efUnj U;kl e p<kos d :i e izkIr fofHkUu lkeku dk LVkd jftLVj e bUnkt u djuk vFkok vkaf'kd :i e bUnkt djukA

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास में चढ़ावे के रूप में जो सामान प्राप्त होता है उसे स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करके अथवा आंषिक रूप से इन्द्राज करके सामान का दुरूपयोग कर लिया जाता है। दान स्वरूप प्राप्त सामान जिसका इन्द्राज नहीं किया गया अथवा आंषिक रूप से लिया गया है का विवरण निम्नलिखित है :–

Ø0 l0	fnukad	lkeku dk fooj.k	ek=k	jlhn l[;k	LVkd jftLVj esa bUnzkt dh ek=k	n`:i;kx ek=k
1	28.06.08	थाली स्टील	12 नं0	21601/437	इन्द्राज नहीं किया गया	12 नं0
2	28.06.08	थाली स्टील	2 नं0	21351/432	इन्द्राज नहीं किया गया	2 नं0
3	01.06.08	चावल	3.08 क्विंटल	21101–03–05 –0607–08–11 –12–21113	3.05 क्विंटल	3 कि0ग्रा0
4	14.06.09 से 21.06.09	आटा	1.85 क्विंटल	25354–55–58 –59–61–62'6 4–65–67–68– 70–71–72– 25373	1.73 क्विंटल	12 कि0ग्रा0

अतः इन वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करने/आंषिक रूप से इन्द्राज करने के कारण का सम्बन्धित न्यास कर्मचारियों द्वारा जिन्हें इसकी अभिरक्षा का दायित्व सौंपा गया है, द्वारा दुर्विनियोजन किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिसका बाजार मूल्य प्राप्त कर दुरूपयोग किये गये सामान के मूल्य की प्रतिपूर्ति करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों से शीघ्र अतिषीघ्र उपरोक्त मूल्य की राशि की वसूली की जाये व की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाये।

16 nku Lo:i izkIr jkf'k e0 100 #i;s dk tek u djuk&

अंकेक्षण अवधि के दौरान रसीदों द्वारा प्राप्त आय की जांच करने पर पाया गया कि 100 रुपये की राशि दिनांक 04.06.2008 को रसीद संख्या 427/21121 द्वारा दान स्वरूप प्राप्त की गई। परन्तु इस राशि को रोकड़ बही में न लेकर बैंक में भी जमा नहीं करवाया गया जोकि उचित नहीं है। अतः
इस राशि की वसूली उचित माध्यम से करके खाते में जमा करवाया जाना सुनिष्चित किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाये।

17 fu"d"kZ & मन्दिर न्यास के लेखों में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

i`"Bkdu la[;k & फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)198/99–खण्ड–4

izfrfyfi fuEu dks izsf"kr dh tkrh g&

1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास माता श्री चामुण्डा नन्दिकेषवर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर अतिषीघ्र इस विभाग को भेंजें।

2 आयुक्त एवं सचिव(भाषा) हिमाचल प्रदेश षिमला–171002.

3 निदेषक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

4 आयुक्त मन्दिर एवं उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मषाला हिमाचल प्रदेष।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.